


अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....

बायद

..... बनाम चौथाराम वर्मा

किस्म मुकदमा..... 111, 128 RLR Act नं..... 76 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/19	<p>प्रेरार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>नरपत पुरस</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/3/19</u> को पेश हो।</p>	
26/03/19	<p>प्रेरार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल हुआ गत जिन तामिल पत्रावली भी गता। अप्रार्थीगण का पत्र तामिल अनुपस्थित। सीमान पीठान अधिकारी जयपुर सिटिंग में पत्रावली हुए है। मिकाल इलवा डेड। आगामी दिनांक 03/04/19 को पेश हो।</p>	
03/04/19	<p>प्रेरार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण का पत्र तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बजे आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 पर लगाई गई। अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिनके</p>	

विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई हमल में लगी जाती है
अर्थात् के अधिकार की एकपक्षीय व्यवस्था लुप्त हुई
अर्थात् के अधिकार ने बलाया की अर्थात् के अपने
व्यावसायिक व्यवस्था के चारों ओर पन्हे नियम (स्थापित
करवाना का प्रयत्न है इसलिए अर्थात् के नियमवली
आवेदन स्वीकार किया जाकर नियमवली कादेश
हीमा जावे। अतः अर्थात् के नियमवली आवेदन
स्वीकार किया जाकर तदनुसार गिराई की इमिग्रेशन
नियुक्त किया जाता है व फाइल किया जाता है।
कि प्रायः स्वयं या अपने अधिकार की भी कुछ
अभिलेख निरिस्त से अर्थात् के व्यावसायिक व्यवस्था की
पन्ही नियमवली में के पर मुल्य जमा कराने के
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
हो पत्रावली में मूल मुद्रा है डी नम्बर में
हम है दायित्व हमल है।

03.4.2019

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्र/वाद/2019/ 37
राजस्व आवेदन संख्या - 76/19

दिनांक:- 3/4/18

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री कुम्भाराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी सवाऊ मूलराज तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		2. श्री चौथाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 31 निवासी सवाऊ मूलराज तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा सवाऊ मूलराज पटवार हल्का सवाऊ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 399/72 रकबा 77-16 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 370/302 रकबा 103-03 बीघा एवं मौजा धैतालर पटवार हल्का सवाऊ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 206/14 रकबा 09-18 बीघा, की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर गैर विवादित स्थिति होने पर पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर पालना रिपोर्ट पेश करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

03.4.2019
(अनिल कुमौर पूनियाँ)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक 3/4/18

क्र/वाद/2019/ 38 to 42
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाऊ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कुम्भाराम पुत्र राणाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री चौथाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 31।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

03.4.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु